# झारखण्ड विधान-सभा

## झारखण्ड राज्य पथ विकास निधि विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

# झारखण्ड राज्य पथ विकास निधि विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

---

## विषय सूची

**खंड ।**

**प्रस्तावना ।**


1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
2. परिभाषाएँ
3. उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण
4. उपकर का राज्य की संचित निधि में जमा किया जाना
5. राज्य सरकार द्वारा अनुदान और ऋण
6. अन्य स्रोतों से जमा
7. राज्य पथ विकास निधि की स्थापना
8. निधि का उपयोग
9. लेखा और लेखा परीक्षा
10. राज्य सरकार की निधि का प्रशासन करने की शक्तियाँ
11. राज्य सरकार के कृत्य
12. कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति
13. नियम बनाने की शक्ति

# झारखण्ड राज्य पथ विकास निधि विधेयक, 2011

**[सभा द्वारा यथापारित]**

राज्य में पथ क्षेत्र के परियोजनाओं में निवेश के लिए निधि स्थापित करने और इस प्रयोजन के लिए अनुदान, ऋण एवं किसी अन्य श्रोत से जमा राशि का उपयोग करने और पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल तेल के रूप में सामान्यतः ज्ञात मोटर स्पिरिट के विक्रय पर उपकर के रूप में कर का उद्ग्रहण और संग्रहण करने और उनसे सम्बद्ध और आनुषंगिक विषयों के लिए प्रावधान हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में झारखंड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

## अध्याय–1

## प्रारम्भिक

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ** –

(i) यह अधिनियम झारखण्ड राज्य पथ विकास निधि अधिनियम, 2011 कहलायेगा।

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करें ।

**2. परिभाषाएँ** – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य सरकार ;

(ख) "उपकर" से अभिप्रेत है माल की बिक्री पर कर की प्रकृति में इस अधिनियम के प्रयोजन से सामान्यतः पेट्रोल एवं हाई स्पीड डीजल तेल के रूप में ज्ञात मोटर स्पिरिट के विक्रय पर अधिरोपित और संग्रहित कर ;

(ग) "विकास" से अभिप्रेत है नवनिर्माण, रख–रखाव, उन्नयन, सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण, सुधार, पुनर्स्थापन, पुनर्निमाण, मरम्मति एवं इसमें पथ क्षेत्र से संबंधित आधारभूत संरचनाओं एवं सुविधाओं के विकास हेतु अन्य गतिविधियाँ शामिल हैं ;

(घ) "निधि" से अभिप्रेत है धारा 7 की उप–धारा(1) के अधीन स्थापित राज्य पथ विकास निधि;

(ड.) "व्यक्ति" के अन्तर्गत शामिल है कोई कम्पनी, फर्म या संगम या निकाय चाहे निगमित हो या नहीं अभिप्रेत है;

(च ) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

(छ) "राजमार्ग प्राधिकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड राजमार्ग अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 07, 2006) की उप–धारा 4 के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकार;

(ज) "राज्य पथ " से अभिप्रेत है झारखण्ड राजमार्ग अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 07, 2006) की उप–धारा 3 के अन्तर्गत घोषित राज्य के अन्दर कोई पथ या भूमि और इसके निम्नांकित शामिल हैं–

(i) उससे अनुलग्न समस्त भूमि;

(ii) ऐसी पथों के समस्त पहुंच मार्ग, उन पर, उनके ऊपर, साथ–साथ या आर–पार के पुल, फ्लाई ओवर, पुलिया, सुरंगे, काजवे, वाहन मार्ग और अन्य सन्निर्माण; और

(iii) ऐसी पथों के सभी बाड़े, वृक्ष, चौकियां और सीमाएं, दो सौ मीटर और किलोमीटर के पत्थर;

किन्तु इसके अन्तर्गत कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है ।

## अध्याय 2

## उपकर का उद्ग्रहण

**3. उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण –**

(i) ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल तेल के रूप में, सामान्यतः ज्ञात मोटर स्पिरिट के विक्रय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपकर के रूप में कर उद्गृहीत और संगृहीत किया जायेगा ।

(ii) उप–धारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर राज्य में उत्तरोत्तर विक्रयों की श्रंखला में ऐसे एकल बिन्दु पर होगा जो विहित किया जाये और दो रूपये प्रति लीटर से अनधिक की ऐसी दर से उद्गृहीत किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाये ।

(iii) उप–धारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर ऐसे व्यक्ति द्वारा भुगतेय होगा जिसके द्वारा उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट माल का विक्रय किया जाता है ।

(iv) उप–धारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर, उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट माल पर तत्समय प्रवृत किसी भी अन्य विधि के अधीन उद्ग्रहणीय किसी भी कर के अतिरिक्त होगा ।

(v) झारखण्ड मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2006 का अधिनियम सं० 05) और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबंध, जिनमें प्रतिदायों और छूटों से संबंधित उपबंध सम्मिलित है, इस धारा के अधीनं उद्ग्रहणीय उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में यावत्शक्य लागू होंगे और इस प्रयोजन के लिए, झारखण्ड मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2006 का अधिनियम सं. 05) के उपबंध इस

प्रकार प्रमावी होंगे मानो उपर्युक्त अधिनियम में उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट माल पर उपकर के उद्ग्रहण का उपबंध है ।

**4. उपकर का राज्य की संचित निधि में जमा किया जाना –**

धारा 3 के अधीन उदगृहीत उपकर आगम प्रथमतः राज्य की संचित निधि में जमा किये जायेंगे और राज्य सरकार, विनियोग के सम्यक प्रक्रिया के अनुकरण के उपरान्त ऐसे आगमों को, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से उपयोग में लाये जाने के लिए समय–समय पर निधि में जमा करेगी ।

**5. राज्य सरकार द्वारा अनुदान और ऋण –**

राज्य सरकार, राज्य विधानसभा द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात्, अनुदानों और ऋणों के रूप में ऐसी धनराशियां को निधि में जमा कर सकेगी जैसा राज्य सरकार आवश्यक समझे।

**6. अन्य स्रोतों से जमा –**

(i) केन्द्रीय सड़क निधि, 2000 (केन्द्रीय अधिनियम 2000 का संख्यांक 54) द्वारा स्थापित केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त सभी धनराशियाँ,

(ii) झारखण्ड राजमार्ग अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 7, 2006) के प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा संग्रहित किए गये सभी शुल्क, अर्थदण्ड एवं अन्य राशियाँ,

(iii) भारतीय पथकर (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2002 (झारखण्ड अधिनियम, 02, 2004) के प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा संग्रहित की गयीं सभी राशियाँ,

(iv) प्रशासी परिषद् द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी सरकारी या वैधानिक निकाय के माध्यम से यदि कोई निवेश किया गया हो तो उसपर सभी प्राप्तियाँ,

(v) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियम या तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के प्रावधानों के तहत निधि में जमा हेतु प्राधिकृत अन्य कोई राशि,

(vi) प्रशासी निकाय द्वारा उधार ली गयी कोई राशि

## अध्याय 3

### झारखण्ड राज्य पथ विकास निधि

**7. राज्य पथ विकास निधि की स्थापनाः–**

(i) ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "झारखण्ड राज्य पथ विकास निधि" के नाम से एक निधि स्थापित की जायेगी ।

(ii) निधि राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगी और उसमें निम्नलिखित जमा किया जायेगाः–

(क) धारा 4, धारा 5, या धारा 6 के अधीन भुगतान की कोई भी धनराशियाँ

(ख) राज्य या केन्द्र सरकार के किसी अन्य अभिकरण द्वारा निधि के लिए आवंटित कोई भी अन्य रकम ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा इसके कार्य सम्पादन में या इस अधिनियम के प्रशासन में वसूली की गयी राशि, यदि कोई हो;

(iii) निधि में जमा अतिशेष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्ययगत नही होगा ।

(iv) धारा 7 (ii) (क), (ख) एवं (ग) में विनिर्दिष्ट सभी धनराशियाँ जो कि झारखण्ड राज्य पथ विकास निधि के भाग हैं, को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा अधिसूचित बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थान में जमा किया जाएगा जैसा कि प्रशासी निकाय द्वारा निर्णय लिया जाय एवं उक्त राशि का संचालन इस प्रकार होगा, जैसा विहित किया जाय।

**8. निधि का उपयोग :–**

निधि का उपयोग निम्नांकित के लिये किया जायेगा ;

(i) राज्य पथो के विकास ;

(ii) राज्य पथ विकास की ऐसी परियोजनाओं के संबंध में संवितरण, जो विहित किया जाय।

(iii) जो राशि तत्काल उपयोग के लिए आवश्यक न हो उसे प्रशासी निकाय इस तरह निवेश कर सकता है, जैसा कि विहित किया जाय।

**9. लेखा और लेखापरीक्षा :–**

(i) राज्य सरकार के संबंधित विभाग/अभिकरण द्वारा समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख संधारित किया जायेगा और लेखा का वार्षिक विवरण तैयार किया जायेगा जिसमें लाभ और हानि लेखा निधि में उनके हिस्से के आवंटन के संबंध में अतिशेष पत्र भी सम्मिलित रहेगा –

(ii) निधि के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक एवं महालेखाकार, झारखण्ड के द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जायेगी जैसा कि उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

## अध्याय 4

## राज्य पथ विकास निधि का प्रबंध

**10. राज्य सरकार की निधि का प्रशासन करने की शक्तियां :–**

(i) राज्य सरकार को निधि का प्रशासन करने की शक्ति होगी और वह :

(क) राज्य पथ विकास की परियोजनाओं में निवेश से संबंधित ऐसे विनिश्चय कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे,

(ख) राज्य पथों के विकास के लिए निधियॉ जुटाने के लिए ऐसे कदम उठा सकेगी जो आवश्यक हों,

(ग) राज्य पथों के विकास के लिए उत्तरदायी विभागों/अभिकरणों को ऐसी निधियॉ आवंटित और संवितरित कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे

(ii) (क) राज्य सरकार राज्य पथ निधि के प्रबंध के लिए यथा विहित प्रबंध निकाय का गठन कर सकेगी

(ख) उपबंध (क) के अधीन गठित निकाय ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विहित किए जाएँ ।

**11. राज्य सरकार के कृत्य –**

राज्य सरकार निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी :–

(i) निधि का प्रशासन और प्रबंध ,

(ii) निधि में से आवंटित समस्त राशि का समन्वय, सम्पूर्ति और यथासमय उपयोग ,

(iii) राज्य पथो के विकास के लिए और ऐसी रीति से स्कीमों की मंजूरी, जो विहित की जाय,

(iv) ऐसे मानदण्ड निश्चित करना, जिनके आधार पर राज्य पथों के विकास की विशिष्ट परियोजनाओं का अनुमोदन और निधि में से राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

(v) राज्य पथ विकास की विशिष्ट परियोजनाओं के लिए विभागों या संगठनों को निधि निर्मुक्त करना और ऐसी परियोजनाओं और उनपर होने वाले व्यय का अनुश्रवण।

## अध्याय –5

## प्रकीर्ण

**12. कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति :–**

(i) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने में कोई भी कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, राज पत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे प्रावधान कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधो से असंगत न हो और जो उसे ऐसी कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

(ii) इस धारा के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र उसके दिये जाने के पश्चात् राज्य विधान–सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा ।

**13. नियम बनाने की शक्ति :–**

(i) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राज पत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(ii) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके बनाये जाने के पश्चात, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान–सभा के समक्ष, जब वह चौदह दिन से अन्यून

कालावधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जाएगें और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखें गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान–सभा ऐसे किसी भी नियम में कोई भी परिमार्जन करती है या यह विनिश्चय करती है कि ऐसे कोई नियम नही बनाये जाने चाहिए तो तत्पश्चात ऐसे नियम केवल ऐसे परिमार्जित रूप में प्रभावी होंगे या यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नही होगा तथापि, ऐसा कोई भी परिमार्जन या निरस्तीकरण उनके अधीन पूर्व में किये गये किसी कार्य की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगा ।

यह विधेयक झारखण्ड राज्य पथ विकास निधि विधेयक, 2011 दिनांक 24 मार्च, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 24 मार्च, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

**(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)**
**अध्यक्ष ।**

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 64--50--30-03-2011 ।